

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:-प.3(1)साप्र/2/2021

जयपुर, दिनांक : 20 OCT 2021

-: आदेश :-


श्री सुरेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, पंचायती राज विभाग, जयपुर जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2021 को हो गई है। इन्हें राजकीय आवास संख्या 11A-डी-20, गांधीनगर, जयपुर आवंटित है। श्री सुरेश कुमार शर्मा की पुत्री सुश्री विनीता पारीक जो कि राजकीय सेवा में कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अति० निदेशक खान विभाग, जयपुर में पदस्थापित है, ने राजकीय आवास आवंटित करने की प्रार्थना की है।

सुश्री विनीता पारीक पुत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक अति० निदेशक खान जयपुर जिनकी पंचम श्रेणी की वरिष्ठता संख्या 41/2019 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2047 है, को श्री सुरेश कुमार शर्मा की सेवानिवृत्ति के उपरान्त राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम-18 में वर्णित प्रावधानान्तर्गत इनकी पात्रतानुसार पंचम श्रेणी राजकीय आवास सं० 5/ए/7, बहुमंजिला गांधीनगर को नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:-

शर्त :-


1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
5. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
6. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-वैकिक उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असाफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटन को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटन निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटन के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. अति० निदेशक खान विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटन के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
5. श्री सुरेश कुमार शर्मा, 11A/डी/20 बहुमंजिला गांधीनगर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आवंटित आवास 11A/डी/20 बहुमंजिला गांधीनगर सात दिवस में रिक्त कर सार्व० निर्माण विभाग को कब्जा संभलवाये तथा इस विभाग को सूचित करें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लोकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटन के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
10. सुश्री विनीता पारीक कनिष्ठ सहायक अति० निदेशक खान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे। साथ ही अपने पिता को आवंटित आवास सं० 11A/डी/20, गांधीनगर सात दिवस में रिक्त कर सार्व० निर्माण विभाग को कब्जा संभलवाये तथा इस विभाग को सूचित करें।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।


डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल